गरीबी और भुखमरी

गरीबी: एक अवलोकन

गरीबी स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए आय और संसाधनों का अभाव है। इसके प्रत्यक्षीकरण में भूख एवं कुपोषण, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच, सामाजिक भेदभाव और निर्णय लेने में भागीदारी का अभाव शामिल है। गरीबी एक बहुआयामी सामाजिक घटना है। गरीबी और उसके कारणों की परिभाषा लिंग, आयु, संस्कृति एवं अन्य सामाजिक और आर्थिक संदर्भों से भिन्न होती है। गरीबी का गठन हमेशा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य से आता है कि गरीबी और व्यापक अर्थ में अभाव एक सांस्कृतिक निर्माण है जो एक समय में एक स्थिति के लिए विशिष्ट है। यह समझ में नहीं आता है कि गरीबी क्या है, इसका अर्थ अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि समाज धनवान हो जाएगा, आय में वृद्धि होगी और आधुनिक सुविधाएं व्यापक रूप से उपलब्ध होंगी। इसकी प्रकृति द्वारा प्रगति स्वाभाविक रूप से होती है और पुन: इस अवधारणा की जांच करनी चाहिए कि गरीबी एवं अभाव का गठन कैसे होता है।

अत्यधिक गरीबी को विश्व बैंक द्वारा लंबे समय से 1.25 डॉलर प्रति दिन या उससे कम पर रहने के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन अक्टूबर 2015 में विश्व बैंक के समायोजन ने अब गरीबी रेखा को 1.90 डॉलर प्रति दिन निर्धारित किया है।

मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट 3 के अनुसार, गरीबी की अवधारणा को तीन अलग-अलग तरीकों से बताया जा सकता है।

- गरीबी की पहली और सबसे प्रभावी परिभाषा यह है कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त आय होती है '।
- गरीबी की दूसरी परिभाषा बुनियादी या बुनियादी जरूरतों पर आधारित है, यानी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में विफलता; या ऐसी जरूरतों से वंचित रहना गरीबी की स्थिति है। बुनियादी मानवीय जरूरतों में न केवल भोजन, कपड़ा और निवास शामिल हैं, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल है।
- गरीबी को परिभाषित करने का तीसरा तरीका अवसरों के अभाव से संबंध है। अवसरों का अनुक्त खंडन उन्हें बेरोजगारी में धकेल देता है जिससे आय में हानि होती है और अंत में बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता होती है। यहां, व्यक्ति को परिवेश से स्थानांतरित करने पर जोर दिया गया है।

वर्ष 2015 ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से परिवर्तित किया। एम.डी.जी. ने वैश्विक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर भी वर्ष 2015 में 1.90 डॉलर प्रति दिन रहने वाले अनुमानित 700 मिलियन लोगों के साथ, अत्यधिक गरीबी अभी भी अस्वीकार्य रूप से अधिक बनी हुई है। यह स्थिति उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में भी केंद्रित हो गई है। सतत विकास लक्ष्यों में उल्लिखित 17 लक्ष्यों में से

सबसे पहला लक्ष्य है "हर जगह अपने सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना- गरीबी नहीं", जिसे "हमारी दुनिया में परिवर्तन: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा" में यू.एन.जी.ए. द्वारा अपनाया गया है।

भारत में गरीबी

विश्व आय में भारत की हिस्सेदारी 1700 में 27% से 1950 में 3% हो गई। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जब ब्रिटिशों ने भारत को सत्ता हस्तांतरित की, तो हमें एक गतिहीन कृषि के साथ एक अपंग अर्थव्यवस्था विरासत में मिली और गरीबी में डूबा किसान मिला। गतिहीन प्रति व्यक्ति आय ने इस तथ्य को चित्रित किया कि ब्रिटिश शासन के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर में असमर्थ हो गई थी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 की रिपोर्ट है कि एनएसएसओ द्वारा अपने 68 वें दौर (2011-12) में एकत्र किए गए घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण डेटा का उपयोग करते हुए तेंदुलकर समिति की पद्धति पर आधारित गरीबी का अनुमान है। बताते हैं कि गरीबी की घटना 2004-5 में 37.2% से घटकर 2011-12 में 21.9% हो गई, जबकि पूरे देश में ग्रामीण गरीबों की संख्या में भारी गिरावट आई है।

गरीबी को विभिन्न सामाजिक संकेतकों के माध्यम से देखा जाता है जैसे आय का स्तर, खपत पैटर्न, अशिक्षा का स्तर, कुपोषण के कारण सामान्य प्रतिरोध का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी, नौकरी के अवसरों में कमी, सुरक्षित पेयजल की पहुंच में कमी, स्वच्छता आदि का विश्लेषण। सामाजिक बहिष्कार और भेद्यता पर आधारित गरीबी अब बहुत आम हो रही है।

सामाजिक बहिष्कार: सामाजिक बहिष्कार का अर्थ गरीबों को केवल अन्य गरीब लोगों के साथ रहने वाले गरीबों में रहना, जिन्हें बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक समानता का आनंद लेने से बाहर रखा गया है। सामाजिक बहिष्कार सामान्य अर्थों में गरीबी का एक कारण और साथ ही परिणाम भी हो सकता है। एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था का है जिसमें कुछ विशेष जातियों के लोगों को समान अवसरों से बाहर रखा गया है।

भेद्यता: गरीबी के लिए भेद्यता एक उपाय है, जो आने वाले वर्षों में कुछ समुदायों (जैसे, एक पिछड़ी जाति के सदस्यों) या व्यक्तियों (जैसे कि एक विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) की अधिक संभावना बनने का वर्णन करता है। संपत्ति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और नौकरी के अवसरों के विकल्प में रहने के लिए विभिन्न समुदायों के लिए उपलब्ध विकल्पों द्वारा भेद्यता का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, सुनामी), आतंकवाद आदि के समय इन समूहों का सामना अधिक से अधिक संकट के आधार पर किया जाता है। इन जोखिमों को संभालने के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक क्षमता का अतिरिक्त विश्लेषण किया जाता है।

भारत में गरीबी का अनुमान

दादाभाई नौरोजी ने 1867-68 की कीमतों के आधार पर अपनी पुस्तक 'गरीबी और भारत में गैर-ब्रिटिश शासन' पर एक अग्रणी काम किया। यह पुस्तक चावल या आटे, दालें, मटन, सब्जियां, घी, वनस्पति तेल और नमक से युक्त एक निर्वाह आहार की लागत पर आधारित थी।

इसके बाद, वर्ष 1938 में, कांग्रेस अध्यक्ष एस.सी. बोस [जे.एल. नेहरू अध्यक्ष और केटी शाह सचिव थे] द्वारा गठित राष्ट्रीय योजना समिति (एन.पी.सी.) ने गरीबी रेखा का अनुमान 'जीवन स्तर का न्यूनतम मानक जिसमें पोषण संबंधी आवश्यकताएं निहित हैं' से लगाया जा सकता है । वर्ष 1944 में, 'बॉम्बे प्लान' के लेखकों ने भी गरीबी रेखा का सुझाव दिया था।

फिर आज़ादी के बाद, वी.एम. दांडेकर और एन. राठ ने 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) के आंकड़ों के आधार पर 1971 में भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया। उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी रेखा को उस खर्च से प्राप्त किया जाना चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 2250 कैलोरी प्रति दिन प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। इसने उम्र और लिंग के आधार पर इन मानदंडों में गरीबी और भिन्नता का आकलन करते हुए न्यूनतम कैलोरी खपत मानदंडों पर चर्चा की। इसके बाद कई कार्य बल और समितियों का गठन किया गया है:

वाई.के. अलाघ टास्क फोर्स - 1979, योजना आयोग द्वारा गरीबी आकलन के उद्देश्य से गठित एक कार्य बल, जिसकी अध्यक्षता वाई.के. अलाघ ने की थी, उन्होंने पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा का निर्माण किया। जिससे, शहरी क्षेत्रों में **2100** से कम कैलोरी या ग्रामीण क्षेत्रों में **2400** से कम कैलोरी वाले लोग गरीब हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भेदभाव के पीछे तर्क यह था कि ग्रामीण लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं। वाई.के. अलाघ ने अंततः भारत में पहली गरीबी रेखा को परिभाषित किया।

डी.टी. लकड़ावाला समिति: 1993 में, निम्नलिखित सुझाव दिए गए:

(i) उपभोग व्यय की गणना कैलोरी की खपत के आधार पर की जानी चाहिए [2400 और 2100 कैलोरी];

(ii) राज्य विशिष्ट गरीबी रेखाओं का निर्माण किया जाना चाहिए और इन्हें शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.) और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम (सी.पी.एल.-ए.एल.) के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके अद्यतन किया जाना चाहिए; तथा

(iii) राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आधार पर गरीबी अनुमान के प्रवर्धन' की अनिरंतर करना। यह मानता है कि सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू. और सी.पी.आई.-ए.एल. की गणना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी गरीबों के उपभोग पैटर्न को दर्शाती है।

गरीबी की गणना की विधि में पहले प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च का आकलन करना शामिल था, जिस पर औसत ऊर्जा मानदंड पूरा होता है, और फिर, उस खर्च के साथ गरीबी रेखा के रूप में, सभी व्यक्तियों के रूप में गरीबों को

परिभाषित करना जो अनुमानित मूल्य से नीचे प्रति व्यक्ति खर्च के साथ घरों में रहते हैं। इस पद्धति से गरीबी का अनुमान दोगुना हो गया है।

सुरेश तेंदुलकर समिति: यह समिति वर्ष 2005 में [2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की], योजना आयोग द्वारा पिछली विधियों की निम्नलिखित तीन कमियों को दूर करने के लिए गरीबी आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी:

(i) उपभोग पैटर्न 1973-74 पॉवर्टी लाइन बास्केट (पी.एल.बी.) वस्तु से जुड़ा था, जबकि उस समय से गरीबों के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, जो गरीबी अनुमान में प्रतिबिंबित नहीं हुए थे;
(ii) मुद्रास्फीति के लिए कीमतों के समायोजन, दोनों स्थानिक (क्षेत्रों में) और अस्थायी रूप से (समय के दौरान) मुद्दे थे; तथा
(iii) पहले गरीबी रेखा राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अनुसार तैयार की जाएगी और तदनुसार गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च की गणना करते समय यह तथ्य नहीं दिया गया था।

इसने चार बड़े बदलावों की सलाह दी:
(i) कैलोरी खपत आधारित गरीबी आकलन और विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की खपत से दूर एक बदलाव यह माना जाता है कि जीवन के वांछनीय राष्ट्रीय न्यूनतम मानक का गठन करने के लिए अवलोकन पैटर्न के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि गरीब शहरी परिवारों के एक संदर्भ समूह द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
(ii) एन.एस.एस.ओ. द्वारा एकत्र किए गए भारतीय घरों के निजी घरेलू उपभोक्ता खर्च पर आधारित गरीबी का अनुमान जारी है।
(iii) ग्रामीण और शहरी भारत भर में एक समान पॉवर्टी लाइन बास्केट (पी.एल.बी.);
(iv) मूल्य समायोजन प्रक्रिया में परिवर्तन और मूल्य समायोजन के साथ स्थानिक एवं लौकिक मुद्दों को ठीक करने के लिए; तथा
(v) गरीबी का आकलन करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय का समावेश।
(vi) इसके गैर-खाद्य घटकों पर अधिक ध्यान देकर जीवन स्तर के न्यूनतम मानक के दायरे का विस्तार।

यह निम्नलिखित वस्तुओं की खपत सहित व्यापक आधारित गणना है: अनाज, दालें, दूध, खाद्य तेल, मांसाहारी चीजें, सब्जियां, ताजे फल, सूखे मेवे, चीनी, नमक और मसाले, अन्य खाद्य, नशीला पदार्थ, ईंधन, कपड़े, जूते, शिक्षा, चिकित्सा (गैर-संस्थागत और संस्थागत), मनोरंजन, व्यक्तिगत और शौचालय के सामान, अन्य सामान, अन्य सेवाएं और दीर्घकालिक सेवाएं।

तेंदुलकर पैनल ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 27 रुपये और 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बेंचमार्क निर्धारित किया। हालाँकि, यह राशि इतनी कम थी कि इसने मीडिया और समाज के सभी वर्गों से तुरंत विरोध का

सामना किया। चूंकि संख्या अवास्तविक और बहुत कम थी, इसलिए योजना आयोग ने 2012 में गरीबी आकलन पद्धति की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन के तहत एक और समिति नियुक्त की।

सी. रंगराजन समिति -2012: [2012 में स्थापना, 2014 में रिपोर्ट सौंपी गई] प्रमुख उद्देश्य थे:

(i) गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए एक वैकल्पिक विधि प्रदान करना और यह जांचना कि क्या गरीबी रेखा पूरी तरह से उपभोग की टोकरी के संदर्भ में तय की जानी चाहिए या यदि अन्य मानदंड भी प्रासंगिक हैं;

(ii) एन.एस.एस.ओ. कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय लेखा समुच्चय से निकलने वाले उपभोग अनुमानों के बीच विचलन की जांच करना;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय गरीबी आकलन विधियों की समीक्षा करना और यह बताना कि क्या इन पर आधारित अनुभवजन्य गरीबी आकलन के लिए एक विशेष पद्धति भारत में विकसित की जा सकती है, और

(iv) यह अनुशंसा करने के लिए कि गरीबी के इन अनुमानों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता और पात्रता से कैसे जोड़ा जा सकता है। समिति से वर्ष 2014 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।

रंगराजन समिति ने इन सीमाओं को बढ़ाकर 32 रुपये और 47 रुपये, क्रमशः, और गरीबी रेखा को 30% के करीब कर दिया। रंगराजन समिति के अनुमान के साथ, वर्ष 2011-12 में गरीबी लगभग 30% थी। वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबों की संख्या 36.3 करोड़ थी।

नीति आयोग का कार्य बल -2015: एन.डी.ए. सरकार ने यथार्थवादी गरीबी रेखा के लिए सिफारिशों के साथ सामने आने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंदनगरिया के तहत एक नए कार्य बल का गठन किया था। हालाँकि आज के अनुसार, यह प्रश्न कि भारत में कितने लोग गरीब हैं, यह पैनल अनुत्तरित रहा है, एक आधिकारिक "गरीबी रेखा" को परिभाषित करने में भी असफल रहा है।

डेढ़ साल के बाद, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कार्य बल एक आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहा है और सरकार को सुझाव दिया है कि विशेषज्ञों के एक अन्य पैनल को काम करने के लिए कहा जाए।

अन्य देशों में: विभिन्न देशों की अपनी गरीबी रेखा की परिभाषाएँ हैं। अधिकांश यूरोप में, "मध्यम कुल सुलभ आय" के **60%** से कम की कुल आय वाला परिवार-गरीब के रूप में गिना जाता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका एक सरल विधि का उपयोग करता है। गरीबी रेखा एक परिवार के लिए भोजन की मूल लागत को तीन से गुणा करती है। एक परिवार को गरीब के रूप में गिना जाता है यदि उसकी पूर्व कर आय इस सीमा से कम है। पनागरिया पैनल की अकर्मण्यता का एक कारण राज्यों के बीच आम सहमति की कमी भी है।

ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने तेंदुलकर गरीबी रेखा का अनुसरण किया, जबकि दिल्ली, झारखंड और मिजोरम सहित अन्य ने रंगराजन रेखा को प्राथमिकता दी। पनागरिया पैनल ने राज्यों से कहा था कि वे इस मुद्दे पर अपने-अपने कार्य बल का गठन करें और अपने सुझाव प्रस्तुत करें। केवल यह कहा गया है कि राज्यों ने कार्य बल के साथ सहमति व्यक्त की थी कि गरीबी रेखा - जिसकी गणना घरेलू खर्च के आंकड़ों के आधार पर की जाए - गरीबी को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है और यह पहचानने के लिए नहीं कि कौन गरीब है या उनके लिए पात्रता प्रदान करता है।

<u>प्रमुख गणना गैर-भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की सीमाएं</u>

गरीबी रेखा एक बार जो भी मानदंड पर निर्धारित होती है वह गरीबी के विभिन्न स्तरों से पीड़ित लोगों की दुर्दशा पर असंवेदनशील बनी रहती है।
उदाहरण के लिए, 100 रुपये की गरीबी रेखा 101 रुपये कमाने वाले व्यक्ति की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील है। यह इन दोनों में कि किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल आय नहीं है और किसी के पास 100 रुपये की कमाई है, में अंतर नहीं करता है।

<u>गरीबी के कारण</u>

भारत में गरीबी के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं:
i.तेजी से बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी: सीमित संसाधन और सीमित रोजगार के अवसर आबादी के एक बड़े हिस्से को स्वचालित रूप से गरीबी रेखा के नीचे ले आते हैं।

ii. कृषि में कम उत्पादकता: इसके कारण भूमि के आकार के छोटे आकार का स्वामित्व, खेती के पारंपरिक तरीकों का उपयोग और पूंजी का अभाव है।

iii. न्यून-उपयोग संसाधन: सीमित संसाधनों के अलावा, जो भी सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, उनके उपयोग के तहत एक और बड़ी चिंता का विषय है। यह उच्च अंत प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता के साथ-साथ कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण होता है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत में कोयले के उत्पादन का एक उदाहरण है।

iv. मूल्य-वृद्धि: निरंतर मुद्रास्फीति ने गरीब लोगों की बचत को खत्म कर दिया है। वे अपने अस्तित्व के लिए कम से कम कमाई कर रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें कोई अतिरिक्त सुलभ आय नहीं बची है, जिसे वे अपने परिवार के जीवन के गुणात्मक सुधार पर खर्च कर सकते हैं।

v. अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी का दुष्चक्र: एक दूसरे के कष्ट की ओर ले जाता है।

अमर्त्य सेन का गरीबी के लिए दृष्टिकरण

देश के विकास और उन्नति प्रक्षेपवक्र के बावजूद, गरीबी समानांतर चल रही है और निरपेक्ष रूप से बढ़ रही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन, अपनी पुस्तक, गरीबी और अकाल में, बताते हैं कि गरीबी का निर्धारण करने के लिए दो मानक हैं, एक खपत मानदंड है और दूसरा गरीबी रेखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से जोर दिया है कि कुपोषण गरीबी के विचार का केवल एक पहलू है। सेन ने अपनी पुस्तक में, स्वतंत्रता के रूप में विकास को गरीबी पर क्षमता अभाव के रूप में जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबी आय के पहलुओं से परे है और इसके अन्य आयाम भी हैं।

सेन आर्थिक विकास द्वारा विकास के पैमाने की मुख्यधारा की अवधारणा को चुनौती देते हैं। उनके अनुसार, विकास में विभिन्न प्रकार की गैर-स्वतंत्रता को हटा दिया जाता है जो लोगों को अपनी संस्था का उपयोग करने के अवसर के लिए बहुत कम मौका देता है। आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अवसर की कमी गरीबी का मूल कारण है और इसलिए गरीबी को परिभाषित करते समय इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अवसर की कमी भी असुरक्षा का कारण बनती है।

प्रोफेसर सेन की क्षमता दृष्टिकोण के रूप में, गरीबी को बुनियादी क्षमताओं से वंचित किया जाता है, जो कई तरह से हो सकती है, जैसे, अज्ञानता, दमनकारी राज्य नीतियां, वित्तीय संसाधनों का अभाव, खराब स्वास्थ्य, उचित शिक्षा की कमी। ये हर किसी पुरुष / महिला के बढ़ने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। यह सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, लिंग, पर्यावरण, विकलांगता के सभी कारकों को शामिल करता है जो लोगों की भलाई को निर्देशित करता है।

भारत के दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों, अमर्त्य सेन और जगदीश भगवती के बीच लोकप्रिय चर्चा, इस संबंध में चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह विकास और वृद्धि के बीच संघर्ष पर केंद्रित है।

इसमें रहने से पहले, हमें विकास और वृद्धि के बीच अंतर करना चाहिए। बहुत बार, शब्द परस्पर उपयोग किए जाते हैं। हालाँकि, दो शब्द अलग अर्थ को व्यक्त करते हैं। विकास एक सर्वसमावेशी शब्द है जिसमें विकास आर्थिक विकास के साथ-साथ जीवन के अन्य आयामों, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक विकास शामिल है। विशेष रूप से अर्थशास्त्र और जी.डी.पी. के संदर्भ में विकास को सख्ती से देखा जाता है।

सेन आर्थिक नीतियों की वकालत करते हैं जो सामाजिक कल्याण योजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश पर अधिक जोर देने के साथ अधिक विकास उन्मुख हैं। भगवती का मानना है कि विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए क्योंकि वे केवल सामाजिक योजनाओं में निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का नेतृत्व कर सकते हैं। , भगवती का मानना है कि मुख्य केंद्र जी.डी.पी. की वृद्धि दर बढ़ाने और गरीबी के मुख्य अनुपात को कम करने पर

होना चाहिए। सेन गुणवत्ता शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से मानव क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता देता है जो श्रम उत्पादकता को बढ़ाएगा। सेन ने केरल और तमिलनाडु के विकास के मॉडल की सराहना की और राज्य के हस्तक्षेप पर जोर दिया।

<u>गरीबी उन्मूलन</u>

गरीबी उन्मूलन की दिशा में सरकार द्वारा जारी विभिन्न पहलों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

1. मजदूरी रोजगार कार्यक्रम

a. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा**)

i. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्यों को स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने के लिए वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की मजदूरी की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

ii. ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने वाले सभी जिलों को 01.04.2008 से मनरेगा के तहत लाया गया है।

iii. मनरेगा स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण की परिकल्पना करता है और कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी एवं विभागीय अभिसरण का अनुरोध करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और पारिस्थितिक विकास में बहुत योगदान देगा।

iv. भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले पिछड़े जिलों पर विशेष जोर दिया गया है

b.'नई मंजिल' (शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम)

इस कार्यक्रम से अल्पसंख्यक छात्रों को लाभ होगा, जिनके पास स्कूल छोड़ने का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है, अर्थात, जिन्हें स्कूल छोड़ने वालों की श्रेणी में या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित किया जाता है, ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रदान किया जा सके और उन्हें सक्षम बनाया जा सके। उन्हें संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार की तलाश है और इस प्रकार उन्हें बेहतर जीवन के लिए लैस करना है।

2. स्व-रोजगार कार्यक्रम

a. राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एन.एल.एम.)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को जून 2010 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) - अजीविका के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

(i) दीन दयाल अंत्योदय योजना-एन.आर.एल.एम. [डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.]

इसका उद्देश्य गरीबों के सशक्त जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीब परिवारों को सक्षम स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने के लिए गरीबी को कम करना है। इसके तहत विभिन्न घटक कार्यक्रम चल रहे हैं:

* महिला किसान सशक्तिकरण योजना (एम.के.एस.पी.) महिला किसानों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने और ग्रामीण महिला किसानों के सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए, मुख्यतः छोटे और सीमांत किसानों के लिए।

* दीन दयाल उपध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना- कौशल विकास कार्यक्रम
ग्रामीण युवाओं के लिए यह बाजार के नेतृत्व में, रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो पी.पी.पी. के माध्यम से उनके द्वारा प्रशिक्षित 75 प्रतिशत उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का आश्वासन देता है। इन कार्यक्रमों का केंद्र 15 से 35 वर्ष की आयु के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं पर है

पूर्ण सामाजिक और क्षेत्रीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं
हिमायत: जम्मू और कश्मीर के युवाओं (ग्रामीण और शहरी) के लिए एक विशेष योजना।

रोशनी: 9 राज्यों में 27 वामपंथी अतिवादी (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों में गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के लिए एक विशेष पहल।

पूर्वोत्तर क्षेत्र: उत्तर-पूर्व में परियोजनाओं के लिए डी.डी.यू.-जी.के.वाई. कार्यक्रम निधि का 10% आरक्षित है, जिसमें उत्तर-पूर्व से ग्रामीण युवाओं के लिए अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र 90% प्रशिक्षण लागत का योगदान देता है।

* ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) की स्थापना, देश के प्रत्येक जिले में एक है।

3. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (खाद्य अधिकार अधिनियम भी)

इसका उद्देश्य भारत की आबादी के लगभग दो तिहाई लोगों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (या, पीडीएस) के लाभार्थी निम्नलिखित कीमतों पर प्रति माह 5 किलोग्राम (11 पाउंड) प्रति व्यक्ति अनाज के हकदार हैं:

चावल 3 रुपये प्रति किलो

गेहूं 2 रुपये प्रति किलो

मोटे अनाज (बाजरा) 1 रुपये प्रति किग्रा।

4. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

a. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है और इसके निम्नलिखित घटक हैं:

(i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.*)*

- बी.पी.एल. व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति माह, [60-79साल] और उसके बाद 500 रुपये।

(ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.**)**।

-40-59 वर्ष की आयु वाली बी.पी.एल. विधवा महिलाएं **200** रुपये/ - मासिक पेंशन पाने की हकदार हैं।.

(iii) राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (एन.डी.पी.एस.*)*

18-59 वर्ष की आयु वाले बीपीएल व्यक्ति गंभीर और कई प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं, जो मासिक पेंशन *200* रुपये के हकदार हैं।

(iv) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.**)**

-बीपीएल परिवार **18** से **64** वर्ष की आयु के प्राथमिक कमानेवाले की मृत्यु पर एकमुश्त **10000** रुपये की धनराशि के हकदार हैं।

(v) अन्नपूर्णा योजना

- प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न उन वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में प्रदान किया जाता है, जो पात्र हैं, हालांकि एन.ओ.ए.पी.एस. के तहत शामिल हैं।

5. शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

a. एनएलएम-शहरी- दीनदयालउपध्याययय अन्त्योदय योजना (डी.ए.वाई.**)**

इसे 2013 में स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के स्थान पर लॉन्च किया गया था। इसके उद्देश्य हैं:

-सुधार भवन और प्रशिक्षण

कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से तैनाती

-सुविधा कर्मचारी कार्यक्रम

-शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए समर्थन

-शहरी बेघरों के लिए आश्रय केंद्र

-नवाचार विशेष परियोजनाएं

इसके अतिरिक्त सरकार के अन्य कार्यक्रम जिनका उद्देश्य कृषि, उद्योगों और सेवाओं जैसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है, अंत में अधिक रोजगार सृजन होता है जिसके परिणामस्वरूप देश में गरीबी उन्मूलन होता है। ऐसे कार्यक्रमों के उदाहरण हो सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया इत्यादि।